

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज विभाग)

विज्ञापन संख्या  
दिनांक:

विज्ञापित

कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)(डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा  
2012

1. राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 संशोधित 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) (डिग्रीधारी/डिप्लोमाधारी) के पदों पर सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा 2012 के लिये निर्धारित ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं।

**विशेष नोट :-** I. Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

II. विज्ञापित पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके लिये अलग से विज्ञापित जारी नहीं की जावेगी।

III आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशो एवं नवीनतम नियमों के अधीन परिवर्तनीय होगी।

2. **आवेदन प्रक्रिया** आवेदन Online Application Form में लिये जायेंगे, जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा करा कर <http://www.exam.rajpanchayat.gov.in> वेबसाईट से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहा परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 10/- ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 20/- की रसीद पृथक से कटवानी होगी। हाथ से भरे गये आवेदन पत्र किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3. **प्रवेश पत्र** विभाग द्वारा समस्त ऑनलाईन आवेदनो में वेबसाईट के माध्यम से ही ऑनलाईन प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे तथा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। वेबसाईट पर प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरांत समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से शीघ्र जारी की जावेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखे। उपलब्ध

#### 4.4.6 Commission Share of RISL:

The commission share of SDA (RajCOMP Info Services Ltd) has been kept only for utilizing the purpose of upgrading Panchayati Raj Department services, providing extra facilities to the candidate as SMS, Helpline etc and also for managing hardware resource at Data Centre if required or as per the request of Panchayati Raj Department.

#### 4.5 SERVICE CHARGES

4.5.1 The amount collected at kiosks for services will be deposited by LSP/SCAs in District e-Governance Society bank account and District e-Governance Society will deposit the amount in the district level account of Panchayati Raj Department.

4.5.2 For Admit Card (in two copies) - Rs. 5 per admission card .The whole amount will go to Kiosk holder.

4.5.3 For on-line submission of application forms and fee deposition- Rs 30/- i.e. (20+10). Distribution of this amount will be as following

1. e-Mitra/CSC kiosks - Rs. 20/- (For application form) + Rs 5/- (For deposition of fee)  
= Rs. 25/-
2. Local Service Providers/SCA – Rs. 3/-
3. -DeGS of Concerned District – Rs. 1/-
4. RISL (SDA) at State Level – Rs. 1/

4.5.4 For ONLY Depositing of fees at Kiosks - Rs 10. Distribution of this amount will be as following

1. e-Mitra/CSC kiosks - Rs. 5/-
2. Local Service Providers/SCA – Rs. 3
3. DeGS of Concerned District – Rs. 1
4. RISL (SDA) at State Level – Rs. 1

4.5.5 These rates will be inclusive of all applicable taxes and levies and shall be charged from applicant by the SCA/LSP and/or kiosk holders.

4.5.6 Service tax liable to pay by SCA/LSP to the service tax department after deducting service tax as applicable on the kiosks share.